का पत्र है। [illegible] मीआऽ

3/7/19 अपीलान्ट उप० नहीं। पैरोकार सरकार उप०। लोक सूचना अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी राजाखेड़ा के पत्रांक 881 दिनांक 15/4/19 से टिप्पणी प्राप्त हुई है लोक सूचना अधिकारी ने अपनी टिप्पणी से अवगत कराया है कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में वांछित सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक 779 दिनांक 26/2/2019 से प्रार्थी/अपीलान्ट को उनके पते पर जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जा चुकी है। सूचना का अवलोकन किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट को जो सूचना उपलब्ध कराई गई है उसमें बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर से सम्बंधित होना अंकित किया है। अतः अपीलान्ट की यह अपील इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि तहसीलदार निर्वाचन कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर बिन्दु सं० 1 व 2 की सूचना प्रार्थी/अपीलान्ट को 15 दिवस में नियमानुसार उपलब्ध करावें। तहसीलदार निर्वाचन को पत्र जारी किया जावे। अग्र प्रकरण में कोई कार्यवाही

Scanned by CamScanner

अपेक्षित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी राजाखेड़ा से प्राप्त रिपोर्ट। सूचना की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

[चेतन चौहान]

अति0 जिला कलक्टर

धौलपुर